

समाहरणालय, बक्सर
(जिला गोपनीय शाखा)

फोन नं० - (06183) 222335(R), 222336 (O)
फैक्स नं० - (06183) 222231(R), 226935 (O)
ई-मेल - dm-buxar.bih@nic.in



आदेश

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत मुख्य सचिव बिहार द्वारा जिला को 02 अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला में चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान के कार्यों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखण्डों में शौचालय निर्माण की गति काफी धीमी एवं असंतोषजनक है। शौचालय निर्माण में तेजी लाने एवं खुले में शौच से मुक्ति हेतु लोगो को जागरूक करने के लिए सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी साप्ताह में तीन दिन एवं प्रखण्ड स्तरीय अन्य पदाधिकारी/संबंधित कर्मी प्रतिदिन नियमित रूप से पंचायतों में Morning & Evening follow up करेंगे।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधितों को निदेशित किया जाता है कि स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता के आधार पर अनुश्रवण करना एवं Morning & Evening follow up करना सुनिश्चित करेंगे। कार्य में लापरवाही बरतने पर गंभीरता से लिया जायेगा।


जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10-2122/गो0 बक्सर दिनांक 5/7/2018

- प्रतिलिपि :- सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
बक्सर।